That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Now, we will take up three Bills together, i.e., the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020; the Industrial Relations Code, 2020 and the Code on Social Security, 2020.

***The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020;**

***The Industrial Relations Code, 2020 and**

***The Code on Social Security, 2020**

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा अभी आपने बताया कि तीनों बिल्स एक-साथ लिए जाएंगे। लोक सभा ने कल इन पर चर्चा करके इन्हें पारित किया है।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि किसी स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं को विनियमित करने वाली विधियों को समेकित और संशोधित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।"

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि संगठित या असंगठित या किन्हीं अन्य सेक्टरों में सभी कर्मचारियों और कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा से संबंधित विधियों का संशोधन और समेकन करने के लिए और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विधेयक पर, लोक सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Motions moved.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में आपके सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। हमारी सरकार ने सभी श्रम कानूनों को चार लेबर कोड्स में समाहित करने का कार्य 2014 में प्रारम्भ किया था। मैं यह बताना चाहता

*Discussed togethers.

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

हूं कि कुल 44 श्रम कानूनों में से 12 श्रम कानून पहले ही repeal किए जा चुके हैं तथा 29 श्रम कानूनों को अब इन चार लेबर कोड्स में शामिल किया गया है। पहला कोड, यानी The Code on Wages अगस्त, 2019 में पहले ही सर्वसम्मति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जा चुका है। इस संहिता द्वारा हमने श्रम जगत में पहली बार सभी पचास करोड़ श्रमिकों को न्यूनतम मज़दूरी तथा समय पर वेतन मिलने का कानूनी अधिकार दिया था। अब इसी क्रम में सदन के सामने हमारी सरकार द्वारा अन्य तीन लेबर कोड्स लाए जा रहे हैं। इसमें The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 में 13 श्रम कानून, The Industrial Relations Code, 2020 में 3 श्रम कानून तथा The Code on Social Security, 2020 में 9 श्रम कानूनों को समाहित किया गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, इन तीनों लेबर कोड्स के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि इन्हें 2019 में लोक सभा में पेश किया गया था। इन बिलों को Parliamentary Standing Committee की सिफारिशों तथा अन्य सभी हितधारकों के सुझावों के अनुसार महत्वपूर्ण बदलावों के साथ वर्तमान सत्र में लोक सभा में पुन: introduce किया गया तथा अब ये तीनों कोड लोक सभा द्वारा पारित होकर आपके समक्ष विचार हेतु लाए गए हैं। मैं यहां बताना चाहता हूं कि Parliamentary Standing Committee की 233 recommendations में से 74 परसेंट recommendations को स्वीकार करते हुए इन लेबर कोड्स को अंतिम स्वरूप दिया गया है।

महोदय, हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का मंत्र रहा है, "Reform, Perform and Transform". माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिए गए इसी मंत्र पर आगे बढ़ते हुए 2014 से अब तक हमारी सरकार ने श्रमिकों के कल्याण हेतु अनेकों कदम उठाए हैं तथा इन श्रम संहिताओं के माध्यम से एक समग्र श्रम सुधार का सपना साकार हो रहा है।

आदरणीय महोदय, OSH Code के माध्यम से श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण तथा श्रमिक कल्याण के प्रावधान समाहित किए गए हैं। इसी तरह IR Code द्वारा श्रमिकों के लिए एक प्रभावी विवाद निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस कोड का उद्देश्य यह है कि हर औद्योगिक संस्थान में, चाहे उसमें एक भी श्रमिक कार्य क्यों न कर रहा हो, एक प्रभावी तथा समयबद्ध विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था दें। सामाजिक सुरक्षा कोड संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु ढांचा प्रदान करेगा। इसमें EPFO, ESIC, भवन निर्माण श्रमिक...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): माननीय मंत्री जी, आप जब reply देंगे, उस समय आप बोल लीजिएगा।

श्री संतोष कुमार गंगवार: महोदय, एक मिनट का शेष रह गया है। Gratuity तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा फंड से संबंधित प्रावधान समाहित हैं। इस कोड के माध्यम

से हम माननीय प्रधान मंत्री जी के Universal Social Security के संकल्प को पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इन तीनों लेबर कोड्स के माध्यम से श्रमिक उद्योग जगत तथा अन्य संबंधित पक्षों के अधिकारों और आवश्यकताओं में एक सामन्जस्य बनाया गया है। मैं आशा करता हूं कि श्रम संहिताएं श्रमिकों के कल्याण हेतु एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। मेरा सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इन कोड्स के संदर्भ में उचित चर्चा करके, जैसे पहला कोड सदन ने जुलाई, 2019 में पास किया था, इसे सर्वसम्मति से पास करें। मैं ऐसा मानता हूं कि देश के मजदूरों के हित में यह एक ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा है और वास्तव में इसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। मैं चाहूंगा कि अब माननीय सदस्य इस पर अपनी राय दें।

The questions were proposed.

श्री विवेक ठाकुर (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे The Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020, the Industrial Relations Code, 2020, and the Code on Social Security, 2020 पर बोलने का मौका दिया। Sir, there is a famous saying and we need to know its elaborate meaning, its genesis and its applicability today, as we discuss the passing of these Bills or Codes, as we may say. 'United we stand and divided we fall.' It is a phrase used in many different kinds of mottos, most often to inspire unity and collaboration. Its core concept lies in the collectivist notion that if individual members of a certain group with binding ideals, such as a coalition or confederation or alliance, work on their own, instead of as a team, that is doomed to have failed and will all be defeated. The phrase is also often referred to with only the words, 'united we stand'. The phrase has been attributed to the ancient Greek story teller, Aesop, both directly in his famous Four Rocks and the Lion, and indirectly in the Bundle of Sticks. Every portion of the Indian core pyramid--worker-employer/investor-consumer--has to work unitedly to build a new India, the Aatmanirbhar Bharat.

महोदय, the Occupational Safety, Health and Working Conditions Bill, 2019, the Industrial Relations Bill, 2019, and the Social Security Bill, 2019, ये वर्ष 2019 में पहली बार इंट्रोड्यूस हुए थे, जैसा माननीय मंत्री जी ने भी कहा और इंट्रोडक्शन के बाद Parliamentary Standing Committee on Labour को रेफर किए गए। पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी ने तीनों लेबर कोड्स के संबंध में पूरी विस्तृत चर्चा की और हर एक स्टेकहोल्डर से करीब 233 अनुशंसाएं लेबर मंत्रालय को दीं। लेबर मंत्रालय द्वारा फिर से सभी स्टेकहोल्डर्स से परामर्श किया गया और उसके बाद उनमें से करीब 174 अनुशंसाएं मान ली गईं। इन अनुशंसाओं के कारण बहुत सारे

[श्री विवेक ठाकुर]

मूलभूत परिवर्तन हुए हैं और लेबर कोड्स में किए भी गए हैं। इस तरह सोशल सिक्योरिटी कोड में preamble में भी परिवर्तन किया गया है। तभी बहुत विस्तृत वर्किंग क्लास इसके दायरे में आ रही है, क्योंकि Occupational Safety Act में ऐसा भी प्रोविज़न है जहां mining and dock activity में एक वर्कर है, तो वह भी कवर्ड है। इसके अंतर्गत दायरा बहुत विस्तृत है।

Mr. Vice-Chairman, Sir, as the Minister referred to, all these Bills deal with around 50 crore workers today. But the ramifications are not just confined today. The multitude of workers of tomorrow has also been dealt with through these progressive labour reforms. The worker is the soul of India. Workers and employees are the two pillars of our national economy. Workers are the dominant partners in the industrial undertakings and without their cooperation, effort, discipline, integrity and character, the industry can't survive. It can't be denied that the labour has a vital role in increasing productivity and the Government has to create conditions in which workers can make their maximum contributions towards these objectives.

The Central Government, under the able leadership of Prime Minister, Shri Modi, is committed towards the welfare of workers. In this connection, the social and economic upliftment of the labour is very important for securing industrial peace and economic growth. It is about capacitating a human resource to perform so as to compete. It is the duty of the Government to provide structure, facilitate and regulate policies and laws, keeping in mind these objectives. महोदय, अगर हम मूल ध्येय के तहत देखें, तो जो सोच में है, वह है क्या? सोच में है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर, जान भी और जहान भी को लेकर, यह लेबर लेजिस्लेशन एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए लाया गया है। अभी तक occupational safety health and working conditions code की बात अगर करें, तो 13 में से 9 लेबर एक्ट्स के लिए सेपरेट रिटर्न फाइल करना होता था, 58 रजिस्टर्स, जो स्टेट द्वारा निर्धारित है वे अलग मेनटेन करने होते थे। इन 13 लेबर एक्ट्स के तहत कितना cumbersome कितना था, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अब कहिए लेबर एंड इंडस्ट्रियल डिसप्यूट होगा या नहीं होगा? यह हो ही रहा है, सब परेशान हैं, कर्मचारी भी परेशान हैं, एम्प्लॉयर भी परेशान हैं।

What does the new code propose? It proposes one single return and it is consolidating compliance burden and data base promoting ease of doing business. The new code makes things very simple and unifies everything together. Many interpretational ambiguities have been eliminated along with substantive reforms and dispute resolution procedures by providing for a single licence mechanism. By simplifying multiple laws

only into three codes, the country under the guidance of hon. Prime Minister, Narendra Modiji, is moving towards 'One Nation One Code' or we could also say 'One Country One Licence'.

Sir, I would like to come to the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. The Code has amalgamated and rationalised the provisions of 13 labour enactments, factories, dock workers, building and other construction workers, plantation labour, contract labour, inter-state migrant workers, working journalists and other newspaper employees, motor transport workers, sales promotion employees, beedi and cigar workers, cine workers, cinema theatre workers. The Occupational Safety Code envisages safety standards for different sectors focussing primarily on health and working conditions; ventilation, drinking water; hours of work, over-time hours, leave, holidays; welfare provisions like canteen, crèche, rest rooms, first-aid;..

उपसभाध्यक्ष (श्री भुबनेश्वर कालिता): विवेक जी, आप मास्क पहन लीजिए।

SHRI VIVEK THAKUR: ..duties of employers, employees, manufacturers; registration of establishments including deemed registration; licence for contract workers, factories, beedi and cigar workers etc. This Code facilitates the ease of doing business and ensures minimisation of registration and compliances. It also ensures digitisation of compliances along with streamlining ambiguities and duplication of information. The Code expands ambit to cover a large set of establishments and enhances the coverage of safety and health provisions to all sets of establishments, including the service sector. Sir, there is a very big problem in the labour industrial relationship, that of Inspector Raj. This Code proposes delinking of inspectors from certain specific geographical regions. The Code envisages the concept of 'inspector cum facilitator". He may also be assigned duty outside his jurisdiction by the appropriate Government through a randomised computer system. The inspector may also seek information and documents online from establishments. This will encourage transparency and would discourage formation of nexus between inspector and employer of a particular region. The Code provides for special provisions for inter-state migrant labourers and streamlines management of contract labour. उपसभाध्यक्ष महोदय, 14 तारीख को सत्र आरम्भ होने के पहले मैंने बिहार में लगातार विभिन्न पंचायतों में प्रवास किया, वर्चुअल नहीं, रियल। जो वापस आए, उन ग्रामीणों की, श्रमिकों भाइयों की बातचीत में प्रधान मंत्री जी के प्रति ऐसा विश्वास और ऐसी आस्था दिखी, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, आज उसका पूरा वर्णन करना मुश्किल है। केंद्र के जितने निर्णय उनके पास पहुंचे, उन्होंने उनके प्रति जो संतोष व्यक्त किया, वह अद्भुत रहा। उन्हें चाहे रेल से पहुंचाना

[Shri Vivek Thakur]

हो, गैस की उपलब्धता हो, गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज की उपलब्धता हो, वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना हो, it was a very overwhelming feeling of all the initiatives taken by the hon. Prime Minister.

Sir, it is important to note, based on what the whole country witnessed with regard to migrant labour, Chapter-XI of the Code which envisages specific provisions to provide for licensing of contractors and maintenance of records of migrant workers. Provisions under this Chapter also encapsulate the concept of elimination of discrimination in employment or occupation and the basic idea of united India. This would enhance the coverage of inter-State migrant workers for the purpose of benefits like housing, education, etc. This encompasses the Government's ideology of "सबका साथ-सबका विश्वास"।

Gender equality and special provision to extend compensation to grandparents in case of demise of a worker have also been incorporated in the Code.

सर, इसमें महिला सशक्तिकरण का बहुत फोकस रहा है। Sir, Chapter-X of the Code encompasses a special provision relating to employment of women. The Code promotes gender equality and is in tune with demands from various forums. The point to be noted here is that women are permitted to work beyond 7 pm and before 6 am, subject to safety, holidays, working hours or any other condition as prescribed by the appropriate Government, subject to taking consent from woman worker. At present, women are prohibited at night for mines, factories, plantation, *beedi* and cigar. The explicit consent of woman worker is an essential pre-condition of such permission.

The Code will play a pivotal role in reshaping the economic structure of society in the post-COVID era. For planned, progressive and purposeful development of society, proper implementation of a beneficial legislation and regulating employer-employee relationship is a condition precedent.

Sir, with your permission, I would like to throw light on the Industrial Relations Code –referred as IR Code, 2020. Sir, the Industrial Relations Code, 2019, intends to subsume three industrial Acts –the Industrial Disputes Act, 1947, the Trade Unions Act, 1926 and the Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 –and simplifies a lot of interpretational issues faced in the archaic Acts dealing with industrial disputes and facilitating a healthy trust-based mechanism of handling industrial relations and disputes.

Sir, codification of above labour laws by consolidation of relevant provisions at one place aims at facilitating implementation and removing multiplicity of definition and authorities without compromising the available safeguard.

The Code also proposes to bring transparency and accountability in the enforcement of labour laws which would lead to better industrial relations and thus higher productivity. The Code provides for revamping adjudication procedures. Many, many unnecessary and archaic adjudication procedures in the erstwhile Acts have been streamlined in the Code and, thus, facilitating an early resolution of industrial disputes.

It also provides for statutory benefits like social security, wages, etc., at par with the regular employees to fixed-term employees. Sir, this is a very significant step.

Sir, there are a lot of key takeaways. In short, I would like to throw some light on legal consolidation and the removal of ambiguities. What is the definition of 'industry?' The sub-Clause 2(m) of the new code encapsulates the amended definition of the term 'industry'. 'Industry' means any systematic activity carried on by cooperation between employer and his workers, whether such workers are employed by such employer directly or through any agency including a contractor, for the production, supply or distribution of goods or services with a view to satisfy human wants or wishes, not being wants or wishes which are merely spiritual or religious in nature. However, it does not include institutions owned or wholly or substantially engaged in any charitable, social or philanthropic services, sovereign functions, domestic services and any other activities as may be notified by the Central Government. This definition is elaborative and includes all the components of the "Triple Test" and also removes all the interpretational ambiguities in the erstwhile definition of the term 'Industry' as defined under the Industrial Disputes Act of 1947.

Then, I come to the definition of 'strike'. There is a concept of 'Mass Casual Leave'. The definition of 'strike' is being amended to include 'Mass Casual Leave' also within its ambit (sub-Clause 2(zf) in the Code). It is very important for India to get out of the warp, as I speak, that we are stuck in. It is what the youthful, progressive India wants.

On the judicial reforms in the IR Code, it is very important to note a few things. Various substantive adjudication procedures have been streamlined in the Code. Presently, about 23,000 cases are pending in 22 Central Government Industrial Tribunals, also referred as CGITs, which include about 5,000 cases, which were transferred after the

[Shri Vivek Thakur]

merger of two, the Employees Provident Fund Appellate Tribunals with CGITs. Now, a two-member Industrial Tribunal has been proposed -- with second member from the administrative side –in place of a single member Labour Court or Industrial Tribunal at present. It is observed that cases remain pending for years and years due to vacancies in the Industrial Tribunals arising out of leave, resignation, transfer and death of a single member leading to delay in disposal of cases and having adverse impact on the labour welfare. It is proposed that a bench of the Tribunal may consist of two members, that is, judicial and administrative member. A bench consisting of two members, that is, judicial and administrative, shall adjudicate cases relating to discharge, dismissal, retrenchment, closure, strike, application and interpretation of standing orders. The remaining cases can be decided either by a judicial member or an administrative member of the Tribunal in the manner as prescribed. This flexibility has been provided to ensure speedy disposal of cases by the Tribunal. There is a huge social impact. But if I mention a few, a provision that a fixed-term employee will get all statutory benefits like social security, wages, etc., at par with the regular employees who are doing work of same or similar nature has also been inserted. This will enhance trust between the employer and employees and will enhance productivity and credibility for sure. A clause has been added that termination of the service of a worker as a result of completion of tenure of fixed-term employment would not be retrenchment. This clarity will reduce the huge problem of interpretation issues and litigation between employee and employer.

Then, a very noble and a new concept has been introduced, a 'Re-skilling Fund'. A Re-skilling Fund is a very new initiative for training of retrenched employees which is proposed from the contribution to be made by an industrial establishment for an amount equal to 15 days' wages or such other days as may be notified by the Central Government, to this Fund for every worker retrenched. The retrenched employee would be paid 15 days' wages from the Fund within 45 days from the date of retrenchment. This will ensure skill enhancement and capacity building for the retrenched employee and enhance his or her future employability. Sir, with your due permission, I would like to throw some light on the Code on Social Security.

Sir, this Code replaces nine laws related to social security. These include the Employees' Provident Fund Act, 1952; the Maternity Benefit Act, 1961; and the Unorganized Workers' Social Security Act, 2008. It consolidates the whole social security framework.

Establishments above a certain specified size have to provide benefits such as provident fund and insurance. These are mandatory for employees above a wage level which will be notified.

The code also proposes to extend the coverage of Employees' State Insurance to all establishments employing ten or more employees and to the employees working in establishments with less than ten employees on voluntary basis and also to plantation-related industry like tea, coffee, spices, etc.

As regards other workers, the Government aims to frame social security schemes including gig workers and workers in unorganized sectors. Sir, every day in our daily lives we are seeing delivery boys and girls of, say, Zomato, Swiggy, Amazon, Flipkart or the Ola-Uber drivers. Randomly we call through the App any time of the day, Sir, and it is delivered or their vehicle is at your doorstep. Even this class has been covered which was untouched so far. It is a very innovative initiative.

Under this Code, the Government will notify various social security schemes for workers. The Code has proposed the establishment of several bodies to administer the schemes.

These include a Central Board to administer the provident fund schemes and national and State-level Social Security Boards to administer schemes for unorganized workers.

This Code envisages to include a vast segment of workers with the ambit of social security schemes.

With such a comprehensive and detailed decision taken, Sir, we could say that the country is moving towards 'One Code One Nation' and it is important.

It is important to eliminate dualities and ambiguities from existing labour laws so that the industry is in a better position to leverage the full potential of the market in the country without any fear.

The labour laws should foster an enabling environment so far as employment practices are concerned.

Sooner we overcome 'compliance mindset', better is our chances of enhancing global competitiveness in manufacturing as well as service sector.

12.00 NOON

[Shri Vivek Thakur]

But, very importantly, Sir, it is time for a reset under the new Covid era. It is the correct time that the Central Government has focused on coalescing all the existing labour laws into one unified piece of legislation with specific sections covering labour-management relations, wages, social security, safety at work place, welfare provisions, terms and conditions of employment, recognition of trade unions, provisions regarding collective bargaining and, above all, enforcement of international labour standards. Such a legislative marvel will indeed be a model for the State Governments.

Sir, without an iota of doubt, one can say that these are the initiatives towards an *Atmanirbhar* Bharat in absolute terms. Moreover, such a legislation will be effective only if it is universally applicable covering all the workers in formal as well as informal sectors. And, for sure, the Government aims to seek the same as per the provisions of all these three Codes, including the earlier Code on Wages which stands implemented as the hon. Minister has also referred in his speech.

It is indeed a necessity to develop a consensus on labour issues rather than continuing with an ad *hoc* approach to amend a few provisions of labour laws just to please the industry.

The Government has duly attempted to revamp the existing enactments affecting the employer-employee relationship.

Sir, the Government is committed to walk the path towards a new India with more jobs and greater economic growth. The new codes will surely enhance the trust of labour, industry and investor and propel productivity and economic growth. In the end, I would like to say that the world order and alliances are set to change post Corona. It is a hard fact that we should know, that we are going to see. The battle to excel shall begin globally absolutely afresh. नये आरम्भ के लिए स्लेट साफ हो रही है। It is going to be a race to corner space in the new world development story and the new initiatives or labour reforms are gearing the youthful India to be not just a part of this race, but to win the race with a humane approach. सबके साथ होगा सबका विकास, लेकर सबका विश्वास, बनेगा आत्मनिर्भर भारत। यह राजनीति से ऊपर होना चाहिए और यह देश के निर्णायक नौजवान को तय करना है, काम और उत्थान के बनाम क्या, निन्दा और बंदी की राजनीति में फंसना है या नहीं फंसना है। चूंकि यह भारत के नये युग का भविष्य व उसका निर्धारण करेगा। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद।

(THE VICE-CHAIRMAN, DR. SASMIT PATRA, *in the Chair*)

SHRI SUBHASH CHANDRA SINGH (Odisha): Hon. Vice- Chairman, Sir, we are discussing The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code. There are criticisms based on excessive use of delegated legislations running through the Code. For instance, the Code does not specify many of the provisions in the earlier Acts such as guaranteed access to drinking water, canteen, washrooms, etc. All have been left to be carried out by delegated legislation, through rules. A minimum corpus of health and safety standards could have been defined in the Code and they ought to be salutary.

Sir, the Central and State Governments have been given the power to exempt many provisions of the code as per the provisions laid in the Bill. It allows both the Central and the State Governments to exempt by notification any establishment from the provisions of this Code. Growth in economic activities cannot be at the cost of suspension of basic health and safety standards. The Standing Committee has lauded many initiatives taken by the Government of Odisha, both inside and outside the State, for the benefit of occupational safety, health and working conditions of inter-State migrants during this period.

Sir, clause 2(1)(d) defines 'Appropriate Government'. The definition is problematic. The Central Government can appropriate everything to itself. 'Public health and safety' is a subject in the State List and the State Governments' power to make laws must not be encroached upon. There should be a nomenclature change in the Code from 'Inspector raaj' to 'Director, Powers' as it is done in the State of Odisha. Clause 2(1)(k) talks about Inspector-cum-facilitator. In Odisha, these Inspectors are called 'Directors'. The nomenclature needs to change here with the times as well. Calling these personnel 'Directors' instead of 'Inspectors' may be apposite. Clause 2(1)(zze) provides for the definition of a 'worker'. The minimum threshold of wage must be increased from ₹ 15,000 to ₹ 30,000. Several helplines have been initiated by the Odisha Government like *shramik sahayata* helpline, labour help desk, seasonal hostels for the children of migrant workers, strengthening of anti-human trafficking units, etc. Similar helplines must be incorporated at the Central level as well. Now, I come to Security Code. Clause 142 mandates Aadhaar; not very user-friendly, Aadhaar is another opening for delegated legislation. Odisha had exempted Aadhaar for the PDS distribution during Covid-19 considering the issues people are facing. Law must be user-friendly. Clauses 100(2) and 100 (3) are provisions encroaching upon the powers of States. Builders and Construction Workers' Welfare

[Shri Subhash Chandra Singh]

Cess Act relates to augmenting the State Boards. The Central Government has been given powers under the new Code. Clause 100 (3) also provides the Central Government the power to appoint any other authority. Again, there is concentration of power in the hands of the Central Government.

Now I come to Industrial Code. Clause 55(4) relates to Dispute Resolution Mechanism. Under the new Code, the Central and State Governments have been provided powers to modify or reject an award issued by a tribunal on public interest grounds and grounds of social justice. History stands testimony to the fact that such previous legislations have not stood the test of time and have been overruled by the High Courts. For example, Section 17A of the Industrial Disputes Act was quashed by both Andhra Pradesh High Court and the Madras High Court as such a provision violates the set principle that a quasi judicial award cannot be set aside by the executive or the legislative action. The new Code dilutes the provision of strikes. The provision of fixed term contract indefinitely is also bothersome. Clause 40 tilts the balance of power towards the employer and grants him unfettered powers to suspend an employee on grounds of misconduct without providing notice. There are discrepancies in Clause 9 which deals in registration of trade unions. The notes attached with the Code provide for a lot of guidelines which have not been reflected in the main text of the Code. For example, the notes provide that reasons should be given both for refusal and cancellation of registration. However, the main text only provides for reasons to be given only for cancellation and not refusal. The notes also provide for the process of approval or refusal within 45 days, however, the main text is silent on any such timeline. Provisions that promote delegated legislation must be relooked. They must be quoted in the Act itself and must not left to be delegated later. The three Codes are a welcome move towards a necessary change in labour laws. However, to better promote ease of doing business and in the larger interest of the nation, the issues pertaining to the three Codes must be relooked into so as to ensure better implementation. A Code of this size is bound to have various creases but the Government must aim to iron out the issues and address them in advance and make the law efficient and effective. The BJD Government led by Shri Naveen Patnaik is happy to support the Codes, but requests the Central Government to address the issues raised.

श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूँ। ये जो तीन Codes आ रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक हैं। अगर आप इन तीनों Codes में देखेंगे, तो पाएँगे कि 25 ऐसे कानून हैं, जिन्हें इन तीन Codes में समाहित किया गया है। पहले अलग-अलग 25 कानून थे, इसलिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ होती थीं, अलग-अलग चीजों की definitions होती थीं, अलग-अलग authorities होती थीं, अलग-अलग वर्किंग कंडीशन्स के बारे में चर्चा होती थी, लेकिन अब definitions, authorities, working conditions, safety, ये जितनी चीजें हैं, ये सब एक जगह समाहित हो जाएँगी। इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ेगा, खास करके लेबर के क्षेत्र में जो environment है, उस पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

इसमें हेल्थ सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मुझे यह देखकर और प्रसन्नता हुई कि इसमें हमारे जो जर्नलिस्ट्स हैं, उनसे सबंधित एक्ट भी इसमें आया है और हम सब जानते हैं कि अभी जो कोविड का दौर चला है, इस माहौल में उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। इससे वहाँ पर मैनेजमेंट के साथ उनका जो एक रिश्ता है, उसको और बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। आप हेल्थ के संबंध देखिए, मैं देखता हूँ कि बीड़ी बनाने वाले जो श्रमिक होते हैं, उनमें बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप आ जाती हैं। हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि इस तरह की बहुत सारी बीमारियाँ उद्योगजनित होती हैं, जो उद्योग में काम करने के चलते आती हैं। उन्हें जिस environment में काम करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे toxic materials यूज़ होते हैं, गैसेज़ यूज़ होते हैं, इससे इन सब चीजों को निराकरण होगा, निपटारा होगा। यह employer और employees के बीच बहुत अच्छा सामंजस्य स्थापित करेगा। यह इन दोनों के लिए विन-विन situation होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक हार रहा है और दूसरा जीत रहा है। अगर हम इस सोच से लेबर के कानून को देखते हैं, तो पाते हैं कि वहाँ हमेशा परेशानी होती है। इस तरफ जो कदम बढ़ाया गया है, यह बहुत ही सराहनीय है और आगे आने वाले समय में हमारा पूरा का पूरा industrial माहौल बेहतर होगा, बेहतर सामंजस्य बनेगा। हमारे प्रधान मंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमें इस देश में पाँच ट्रिलियन की economy बनानी है, उसके लिए यह जरूरी है कि जो manufacturing sector है, जो सर्विस सेक्टर है, उनमें अच्छा काम हो। उनमें अच्छा काम तभी होगा, जब पूरी की पूरी लेबर laws..... आज तक क्या था? अभी माननीय मंत्री जी बता रहे थे कि कई कानून बने हुए थे, इसलिए इतना जो plethora of laws था, इनसे बहुत ज्यादा परेशानी होती थी, लोगों के मन में तरह-तरह की आशंकाएँ रहती थीं। इससे अब ये आशंकाएँ भी दूर हो जाएँगी और अच्छा काम करने का माहौल बनेगा। इससे हमारा देश आगे चल करके एक बहुत ही सशक्त राष्ट्र बनेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI S.R. BALASUBRAMONIYAN (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, Sir, the threshold number of workers in an establishment may be retained at 100 only for the purpose of taking permission of the Government before starting retrenchment, lay-off, closure, etc.

[Shri S.R. Balasubramoniyan]

Strike and lockout are now proposed to be prohibited in any establishment without giving notice of fourteen days irrespective of whether it is public utility service or not. In respect of the establishment not being a public utility, the strike notice period may be reduced to three or four days.

Adjudicating bodies like Court of Inquiry, Board of Conciliation and Labour Courts are replaced by the Industrial Tribunal in the draft Code. Normally, the Industrial Tribunals are situated only in the State headquarters. Hence, workers from various places in the State, who are in dispute with management, will have to travel frequently to the High Court to attend the cases spending time and money.

In the draft code, outside office-bearers in a trade union have been restricted to two or twenty-five per cent, whichever is less. If this provision comes into force, the outside office-bearers shall be restricted and the bargaining capacity of the trade union will be curtailed and the participation of the State-level leaders and the leaders of federations will be banned. Representatives of the trade unions with ten per cent of the total workers can take part in the negotiation process. This provision will adversely affect the participation of small trade unions. Hence, the restriction of ten per cent needs to be reconsidered and removed. Thank you.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on these three Bills. The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code has been brought by amalgamating 13 Acts and to provide them in a concise volume with certain important changes.

Sir, I would like to share the concerns. The trade unions of the entire country have got several apprehensions with regard to the implementation and incorporating these provisions by amalgamating several enactments. So, I want to bring to the notice of the hon. Minister some of the apprehensions of the trade unions, which may be considered and resolved in an appropriate manner.

The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code seeks to combine thirteen laws relating to factories, mines and so on and so forth. It is then an uneasy amalgam of laws which covers a wide variety of workers belonging to the organized as well as unorganized sector. Sir, most of the laws were enacted to address and regulate the service conditions of different segments of workers and employees likes sales

promotion employees, etc. Sir, there is also an apprehension in the minds of the trade unions that the provisions of this Bill grossly dilute and tamper with all the provisions pertaining to the rights and protection of the workers in general. So, even on the health and safety related matters, the Code has so articulated the provisions as the workers and the unions cannot assert their opinions and rights for proper enforcement or establish the accountability of the employers for violation of even basic health and safety provisions.

The Code has not dealt with adequately and even imaginatively with issues concerning occupational safety and health. Further, Sir, the Factories Act stipulates the compulsory constitution of a bi-partite Safety Committee in every factory in which hazardous processes or substances are used. But the Code leaves the constitution of the Safety Committee to the notification process of the appropriate Government. The Code requires the employers to seek prior consent from the workers to perform overtime. It is a good move. For the first time in the legislative history, this Code requires every employer to issue an employment letter but does not stipulate a remedy in case of its non-compliance.

Sir, codification is necessary to rationalize proximate labour laws but this should not lead to bundling together diverse and unique laws concerning disparately positioned categories of workers, which are yet to mature into meaningful pieces of legislation in their own right or historical and hence need respective suitable amendments.

Sir, with regard to the Industrial Relations Code, this legislation subsumes within it three Central labour laws and provides a comprehensive Code. Sir, I am concerned with the only one adjudicating body at appeal level. How will it be effective in resolving the labour disputes? Whether the prolonged dispute resolution not defeat the very purpose of rendering justice and welfare to the labourers across the country?

As far as the definition of 'wages' is concerned, definition of 'wages' is narrower than that prescribed under the Industrial Disputes Act. The changed definition would have an impact on the quantum of compensation payable to a worker in the event of retrenchment or closure.

With regard to the recognition of trade unions, the Code provides for the recognition of trade unions as the bargaining agent. The requirement of the support of 75 per cent of the workers for recognition as a sole negotiating agent is too high and not in

[Shri Kanakamedala Ravindra Kumar]

conformity with the principles relating to collective bargaining laid down by the ILO supervisory bodies.

As far as restriction on strikes is concerned, under the Industrial Relations Code, workers in all industrial establishments are required to give notice of a minimum of 14 days and a maximum of 60 days before going on a strike under Clause 63. Upon giving such a notice, conciliation proceedings are deemed to have commenced and the strike cannot continue during the pendency of conciliation proceedings and adjudication proceedings. This would make it difficult for workers in any industrial establishment to go on a legal strike.

With regard to 'no reference requirement', unlike Section 10 of the Industrial Disputes Act, there is no provision requiring reference of industrial disputes for adjudication. However, in case of disputes of national importance, the Central Government needs to refer the dispute for adjudication by the National Industrial Tribunal. Coming to the Code on Social Security Bill, in a very short span of time, the Bill has been brought for discussion. Though it had been reported to the Department-related Standing Committee, there is still a lot to be done. Many Members have given their dissent on its report also.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR: I have some queries, Sir. I would like to know whether vacancies are actually notified. If cess is properly collected under the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act and account is maintained accurately, why is that amount not dispensed for construction workers who suffered during COVID-19 pandemic? However, all the workers covered by the Code will not be entitled to the same or similar social security benefits. Due to paucity of time, I cannot furnish the particulars here. The apprehensions of the trade unions in the country are with regard to proper security of the crores of workers. I urge upon the hon. Minister to clarify all the doubts in the minds of the trade unions and take appropriate steps to remove their doubts. Thank you, Sir.

श्री राकेश सिन्हा (नाम-निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम जिन तीन Codes के ऊपर विचार-विमर्श कर रहे हैं, the Code on Occupational Safety, Health and Working Conditions, the Industrial Relations Code and the Code on Social Security, वास्तव में इन तीनों Codes

को अलग-अलग नहीं देखा जा सकता है। there is a symbiotic relationship among all these three Codes. एक कोड के प्रावधान को दूसरे कोड के प्रावधान के साथ ही देखा जाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे आज दु:ख है। यह एक ऐतिहासिक अवसर है, जब भारत का सदन 60 करोड़ कामगारों के ऊपर एक विमर्श कर रहा है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि वर्ष 1923, 1926, 1946, और 1952 में बने हुए कानूनों को फिर से review किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये Codes सरकार अचानक संसद में लाई है। इनको पहले स्टैंडिंग कमिटी में भेजा गया था, उसके बाद उसकी 174 recommendations को स्वीकार किया गया। मैंने कहा, मुझे दु:ख है, उसका कारण है। जब 60 करोड़ कामगारों के ऊपर विमर्श हो रहा है, तो जो लोग सर्वहारा का नारा लगाते हैं, जो लोग समाज के हाशिये की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, आज यदि वे इन कामगारों के जीवन, उनके भविष्य के बारे में हो रहे विमर्श में शामिल होते, तो इस ऐतिहासिक क्षण के वे भागीदार भी बनते और कामगार उन्हें सलाम करता, लेकिन दुर्भाग्य से आज वे सदन से बाहर हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर भारतीय मज़दूर आंदोलन के tallest leader, स्वर्गीय दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी को याद करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ, क्योंकि संयोग से यह उनका जन्म-शताब्दी वर्ष भी है। उन्होंने नारा दिया था- 'labourise the industry, nationalize the labor और industrialize the nation'. उद्योगों का श्रमिकीकरण करना, श्रमिकों का राष्ट्रीयकरण करना और राष्ट्र का औद्योगीकरण करना। दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी को नमन करते हुए मैं यह कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की अगुवाई में जो यह परिवर्तन हो रहा है, यह ऐतिहासिक सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनमें कुछ प्रावधान बदले गए हैं। इसमें केवल प्रावधान ही नहीं, बल्कि अधिष्ठान बदला है। वह ऐसे बदला है कि आज तक जिसे Industrial Dispute Act कहा जाता था, उसके पीछे एक तर्क था। वह तर्क वर्ग संघर्ष का था, class struggle का था, जो सन् 1917 में "बोलशेविक क्रांति" से शुरू हुआ, कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से शुरू हुआ और जिसमें यह बात सामने आई कि समाज में उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच में अंतर्निहित विरोधाभास है। इसलिए उनको सर्वहारा कहा गया, लेकिन प्रधान मंत्री श्री मोदी जी की अगुवाई में जो यह परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में इसको इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड कहा गया। इसमें संघर्ष नहीं, समन्वय है। उद्योग को भी एक परिवार के रूप में देखना और परिवार के रूप में देखते हुए राष्ट्र और अर्थव्यवस्था का विकास हो, यह इस कोड का अंतर्निहित मूल्य है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसमें जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, आज देश में ट्रेड यूनियन ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, चाहे भारतीय मज़दूर संघ हो, जिसकी 62 लाख सदस्यता है, या CITU हो, जिसकी 34 लाख सदस्यता है या AITUC हो, जिसकी 26 लाख सदस्यता है, इस कोड ने एक महत्वपूर्ण बुनियादी परिवर्तन किया है। अब तक ट्रेड यूनियन संगठनों में लोकतांत्रीकरण का अभाव था, जिसके कारण ट्रेड यूनियन आंदोलन में कई तरह की विकृतियां, कई तरह के अंतर्विरोध थे, जिससे स्वयं ट्रेड यूनियंस परेशान थे। ये वह लोकतांत्रीकरण है कि अपने पदाधिकारियों का,

[श्री राकेश सिन्हा]

कार्यसमिति के सदस्यों का एक अंतराल के बाद चुनाव होना, आवश्यक ऑडिट होना, 10 प्रतिशत सदस्यता होना या किसी उद्योग प्रतिष्ठान में मिनिमम 100 सदस्य होना रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी कर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन को एक स्वस्थ स्वरूप दिया गया है, जिसकी मांग स्वयं ट्रेड यूनियन के बीच से आयी थी, जिसे सरकार ने स्वीकार किया है। ये तीनों ही कोड्स भारतीय मज़दूर आंदोलन के लिए एक स्वर्णिम अवसर हैं। आज तक मज़दूरों की bargaining capacity, मोलजोल की ताकत नहीं थी, इन तीनों कोड्स ने मोलजोल की ताकत बढ़ा दी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ये कोड्स सर्वसमावेशी है, ये highly inclusive codes हैं। मैं इसका एक कारण बताना चाहता हूं। पूरे देश में जिन लोगों को औपनिवेशिक काल से चला आ रहा श्रम कानून address करता था, वे organized sector के workers थे। प्रकारांतर में औद्योगिक विकास की परिस्थितियों और संदर्भों के अनुसार जब unorganized sector के informal sector के workers हैं, informal economy है, उसकी संख्या 93 प्रतिशत हो गई। आज इस देश में 39.7 करोड़ informal workers हैं, यह डेटा अपने आप में प्रामाणिक नहीं है। ये तीनों ही कानून और इनमें दो जो मुख्य कानून हैं, वे सर्वसमावेशी इसलिए बना देते हैं कि इसमें informal sector को लेते हुए दो नई श्रेणियों को भी शामिल करता है, gig workers and platform workers. यह gig workers एक नया नाम है। ये वे श्रमिक हैं, जो नियोक्ता और श्रमिकों के संबंधों से परिभाषित नहीं होते हैं, ये उससे बाहर हैं। ओला चलाने वाले, ऊबर चलाने वाले और इस तरह से लाखों श्रमिक जो बाहर हैं, जिन पर श्रमिक कानून लागू नहीं होता था, श्रमिकों को मिलने वाला लाभ नहीं मिलता था, उन सब gig workers को शामिल किया गया है। इस देश में gig workers की संख्या 14 मिलियन है, जो एक करोड़ चालीस लाख के करीब है। कभी-कभी gig workers के अंतर्गत ही platform workers को रखा जाता है, लेकिन वे different हैं। इंटरनेट के कारण देश में ऐसे श्रमिकों की संख्या बढ़ी है, ऐसे काम करने वालों की संख्या बढ़ी है, जो ऑनलाइन काम करते हैं, जो पार्ट टाइम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो अलग-अलग कंपनियों में assignment के आधार पर activities करते हैं और activities के अनुसार उनको परिश्रम का फल मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है। ऐस workers को platform workers कहते हैं। इस कानून में, इस कोड में gig workers, platform workers, informal workers और organized sector के workers को समान दर्जा दिया गया है। जो कि एक ऐतिहासिक है, जो बुनियादी परिवर्तन की ओर संकेत करता है। लाखों, करोड़ों कामगार, जिनकी कोई आवाज नहीं थी, जहां तक ट्रेड यूनियन आंदोलन नहीं पहुंच पाया था, आज वे जहां कहीं भी होंगे, इस सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के साथ, वे अपने आपको मज़बूती से इस अर्थव्यवस्था का मील स्तम्भ समझकर आज काम कर सकते हैं। उन्हें विश्वास होगा कि सरकार उनके दरवाजे तक पहुंची है। उन्हें वह अधिकार दिया गया है, जो अधिकार organized sector का हुआ करता था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, ये तीनों कोड्स परिवर्तन की एक दिशा को इंगित करते हैं। वह विषय यह है, जब श्रमिक काम करता है, तो वह काम तो बराबर करता है, लेकिन उसको पारिश्रमिक बराबर नहीं मिलता है। इस देश में contract labour बढ़ा है उसका एक आंकड़ा है की 2001 मे contract labour की संख्या 15.7 प्रतिशत थी, जो 2015 में आकर 27.7 प्रतिशत हो गई। ये contract labour पूरी दुनिया में हैं। Contract workers को वही काम करने के लिए organized sector के workers से 60 per cent कम पारिश्रमिक मिलता था। उन contract labour के पारिश्रमिक में जो एक भिन्नता थी, जो भेदभाव था, इस कानून ने उसको समाप्त कर दिया। महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस देश में 1974 में ऐसी ही मांगों को लेकर ऐतिहासिक रेल हड़ताल हुई थी, जिसका नेतृत्व जॉर्ज फर्णांडिस जी ने किया था। 2 मई, 1974 को जॉर्ज फर्णांडिस को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 मई को इसी हाउस में रूल 176 के अनुसार बहस करते हुए दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी ने कहा था, Great problems came to them for solutions but they did not deal with them greatly. 70 सालों की शासन व्यवस्था में जो सरकारें रहीं, उन्होंने श्रमिक कानून को औपनिवेशिक अंदाज़ से देखा, class struggle के अंदाज़ से देखा और श्रमिकों का जो सशक्तिकरण था, वह नारों के बीच खोता रहा।

दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है, वह social inclusiveness है, सामाजिक सर्वसमावेशीपन, अत: ये दोनों कोड महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। महोदय, पूरे work force में 23.5 per cent महिलाएं हैं। इन 23.5 per cent महिलाओं में 90 per cent informal sectors में हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि इन तमाम महिलाओं को समान अधिकार, महिला श्रमिकों को वही अधिकार दिया है, जो पुरुष श्रमिकों को है। समान अवसर, समान कार्य-क्षेत्र, समान पारिश्रमिक, इसी कोड ने दुरुस्त करने का काम किया है, gender discrimination को पूरी तरह से यह कोड समाप्त करता है। महिला सशक्तिकरण में एक और महत्वपूर्ण पक्ष आया है, इन महिलाओं को जब वे कार्य-क्षेत्र में जाती थीं, तो पारिश्रमिक पुरुष श्रमिकों की तुलना में 34 प्रतिशत कम मिलता था। ये आंकड़े साइंटिफिक सर्वे के आधार पर आए हैं। आप उनके पारिश्रमिक में पूरी तरह से समानता स्थापित करके social egalitarian को श्रमिक कानून का अभिन्न हिस्सा और बुनियादी आधार बना दिया गया है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि यह social dynamism और social inclusiveness दोनों ही कोड महत्वपूर्ण हैं।

महोदय, मैं अपनी अंतिम बात कहकर समाप्त करूंगा। इन तीनों कोड्ज़ में श्रमिकों को क्या लाभ रहा, मैं इसके तीन पक्ष रखना चाहूंगा। पहला- contractual labours को compulsorily अनिवार्य रूप से वे जब नौकरी के लिए, जॉब में जाते हैं, तो उन्हें नौकरी के लिए पत्र मिलेगा। यह देना आवश्यक होगा। अब कोई भी contractual labour किसी की mercy पर नहीं होगा। वह एक सशक्त श्रमिक बनकर काम करेगा। श्रमिक होने की quality अलग होगी, लेकिन उसका समान परिणाम उसके पास होगा। दूसरी बात यह है कि जो casual workers हैं, तो आज तक casual workers के बारे में श्रमिक संगठनों ने तो आवाज़ उठाई थी, लेकिन उतनी सशक्त आवाज़

[श्री राकेश सिन्हा]

नहीं उठी थी। साफ तौर पर कहा गया है कि एक वर्ष से अधिक यानी वर्षों तक casual workers को लगातार रखना यह unfair होगा।

महोदय, अंतिम बात जो मैं कहूंगा कि grievance redressal के लिए और जो informal sector के workers हैं, ये दो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं। Informal sector के workers का registration अब labour department नहीं करेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर बनी हुई कमेटी करेगी, digitalization होगा और ESI, EPF ये दोनों ही सुविधाएं इतनी बढ़ा दी गई हैं कि अब तक जो 566 districts में ESI आई थी, अब उसको 740 districts में पहुंचा दिया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर यही कहूंगा कि नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने critical question को constructive रूप में देखा और conscious discussion के साथ उसको परिणाम तक पहुंचाया। पहले जो नारा दिया गया था कि "दुनिया के मज़दूरो - एक हो", तो अब उस नारे को बदलकर "मज़दूरो, दुनिया को एक करो" कर दिया गया है। इस अधिष्ठान परिवर्तन के साथ जो एक परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के लिए मैं श्रम मंत्री जी का, भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूं और भारत के 60 करोड़ श्रमिकों की ओर से सरकार को धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को, इस ऐतिहासिक परिवर्तन को अंजाम दिया, धन्यवाद।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर): उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि भारत की आज़ादी के बाद 73 साल बीत चुके हैं, लेकिन मज़दूर जिस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह न्याय अब मिल रहा है। वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, इन तीनों की गारंटी देने वाला यह बिल है। मैं इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी और श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी दोनों का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं। केन्द्रीय श्रम कानूनों की संख्या 70 थी और उनमें मज़दूर उलझ गए थे। अब चार कोड बन गए, तो अब यह न्याय जल्दी और अच्छा मिलेगा। इसकी मुख्य विशेषताएं यह है कि सभी मज़दूरों को न्यूनतम मज़दूरी मिलेगी। इसकी गारंटी है। पहले यह गारंटी नहीं थी। सभी मज़दूरों को समय पर वेतन मिलेगा। पहले कहीं एक तारीख को मिलता था, कहीं पांच तारीख को मिलता था, कहीं सात तारीख को मिलता, कहीं दस तारीख को मिलता और कभी महीने के अंत में मिलता था। अब ऐसा नहीं कर सकते हैं। मज़दूरों को समय पर वेतन देना ही पड़ेगा। पुरुष एवं महिला मज़दूरों को समान वेतन मिलेगा और जैसा सिन्हा जी ने कहा कि हर मज़दूर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अब वह अनावरस नहीं रहेगा। उसको नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसमें दो-तीन नई बातें हैं। हर साल हर मज़दूर का मुफ्त check-up किया जाएगा। यह मुफ्त check-up हेल्थ का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। एक सबसे क्रांतिकारी कदम है, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं गया। नौकरी छूटने पर जो ESIS और EPFO का सदस्य है, उसकी नौकरी जाने पर तीन महीने के लिए उसको आधी तनख्वाह मिलेगी।

पहली दफा देश में यह बदलाव आया है और यह बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। री-स्किलिंग किसी की नौकरी छूटने पर अगर फिर से काम नहीं मिलने वाला है, तो री-स्किलिंग, के लिए एक व्यवस्था की गई है कि उसको एक तरह से 15 दिन की तनख्वाह वाली छुट्टी देंगे। उसके साथ-साथ प्रवासी मज़दूर - जिनके बारे में इस सदन में पहले बहुत चर्चा हुई, प्रवासी मज़दूरों को हर साल एक बार घर जाने के लिए प्रवास भत्ता मिलेगा - जो मालिक होगा, उसको प्रवासी मज़दूरों को एक बार घर जाने के लिए भत्ता देना पड़ेगा। प्रवासी मज़दूर जहां काम करेगा, वहां उसे राशन मिलेगा। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का निर्माण होगा एवं महिला मज़दूरों को रात में काम करने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन साथ में उनकी सुरक्षा और उनके लिए वाहन की व्यवस्था मालिक को करनी पड़ेगी। भवन निर्माण के मज़दूर कहीं भी जाएं, तो भी उन्हें भवन निर्माण निधि का फायदा मिलेगा। ESIS के अंतर्गत छोटे से contribution से ESIS के सभी दवाखानों और अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके अतिरिक्त ESIS के अस्पतालों का जिलों तक विस्तार किया जा रहा है। जैसे सिन्हा जी ने कहा, नयी तकनीक के जो मज़दूर हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त बागान के मज़दूरों को ESIS का लाभ मिलेगा। जहां पर दस से कम मज़दूर होंगे, उन संस्थानों को भी स्वेच्छा से ESIS से जोड़ने की सुविधा है। Tribunal में केस चलता था, न्याय नहीं मिलता था लेकिन अब वहां पर एक साल के अंदर उस केस का निर्णय होगा और एक साल में उन्हें न्याय मिलेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण कदम है।

महोदय, मैंने यह देखा कि ऐसी 50-60 चीज़ें हैं जो मज़दूरों के लिए पहली दफा हो रही हैं। इसलिए मुझे केवल इतना कहना है कि पचास करोड़ मज़दूरों के लिए, उन्हें ज्यादा मज़दूरी मिले, इसकी व्यवस्था करने वाला बिल और पचास करोड़ मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा, वेतन और सुरक्षा की गारंटी देने वाला बिल जब आया है, तब विपक्ष नदारद है क्योंकि जनता से वह कट चुका है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you hon. Minister. Now, hon. Member and Minister, Shri Ramdas Athawale.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जो बिल्स लाए गए हैं, ये बहुत क्रांतिकारी बिल्स हैं। आज जब लेबर के विषय पर चर्चा चल रही है उनके संबंध में बिल्स आ रहे हैं, इतने वर्षों तक जो उन्हें न्याय नहीं मिला था, वह न्याय देने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है, तब मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर जी की याद आती है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी हमारे देश के लेबर मिनिस्टर थे, तब उन्होंने 12 घंटे की ड्यूटी को घटाकर 8 घंटे का किया था और महिलाओं को छुट्टी से संबंधित सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएं देने का निर्णय लिया था। कांग्रेस के कार्यकाल में मज़दूरों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय संतोष गंगवार जी, जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, वे अच्छे आदमी हैं, सीधे-सादे आदमी हैं,

[श्री रामदास अठावले]

वे जो बिल्स लेकर आए हैं, The Occupational Safety, Health And Working Conditions Code, 2020; The Industrial Relations Code, 2020 and The Code On Social Security, 2020 - ये जो तीन बिल्स हैं, ये मज़दूरों को न्याय देने वाले बिल्स हैं। मेरा केवल इतना सुझाव है कि जो contract system है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि जो वर्क regular work होता है, उसे contract पर नहीं देना चाहिए, लेकिन बहुत जगह पर कम्पनी के मालिक contract पर लेबर रखते हैं, Municipality में भी contract पर लेबर रखते हैं और retirement तक उन्हें permanent नहीं किया जाता है, इसलिए contract system बंद करने के लिए भी एक नया कानून बनाने की आवश्यकता है। जो मज़दूर हैं, उनके लिए हेल्थ की सुविधा की हो, इसकी उन्हें बहुत आवश्यकता होती है। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में जाता है तो वहां पर वे 50,000 रुपए deposit मांगते हैं। सरकारी अस्पताल में जब वे जाते हैं तो वहां पर उन्हें इलाज तो मिलता है, लेकिन इस बिल के द्वारा मज़दूरों को हेल्थ की पूरी सुविधा देने का निर्णय लिया गया है, उन्हें social security देने का भी प्रावधान किया गया है। महोदय, जार्ज फर्णांडिस जी ने रेलवे में जो ट्रेड यूनियन बनायी थी, जब वे बीमार पड़ गए थे, तो उन्होंने मुझे जो उनकी रेल मज़दूर यूनियन थी, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। रेलवे में काम करने वाले मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, म्युनिसिपैलिटी में काम करने वाले मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए यह बिल आया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि -

"जब मजदूरों को न्याय मिलेगा, तब देश गति से आगे चलेगा,
अब कंपनी का मालिक हिलेगा और मजदूरों को सही न्याय मिलेगा
मजदूरों के लाड़ले नेता हैं माननीय नरेन्द्र मोदी,
इसलिए उन्होंने छीन ली है कांग्रेस की सत्ता की गद्दी
गांव-गांव की बोल रही है मजदूर दादी,
प्रधान मंत्री के रूप में बहुत ही अच्छे हैं नरेन्द्र मोदी।"

प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी एक अच्छे इंसान हैं, सबके बारे में सोचने वाले इंसान हैं। इसीलिए मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि -

"जिनको मजदूरों का बहुत ही मिल रहा है प्यार,
उनका नाम है लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार
माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने लिया है सभी मजदूरों का अपने ऊपर भार,
इसलिए मोदी साहब को सारे देश के मजदूर करते हैं प्यार
इस बिल को यहां रखने वाले श्री संतोष गंगवार जी हैं आदमी सोबर,
इसीलिए उन्हें डिपार्टमेंट मिला है लेबर।
सभी लेबर को न्याय देने की गंगवार जी में है हिम्मत,
इसलिए हम सब लोग मिलकर उनको देते हैं एक हिम्मत।"

हमारे लेबर मिनिस्टर जो तीन बिल लाए हैं, वे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉन्ट्रेक्ट लेबर को, सभी लेबर को न्याय देने का यह बिल है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

"आज मेरा भर गया है मन,
मैं तीनों बिलों का करता हूं समर्थन।"

मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, इन तीनों बिल्स का सपोर्ट करता हूं, जय भीम, जय भारत।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, the hon. Minister.

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उपसभाध्यक्ष जी, मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारे साथियों ने यहां पर अपनी बातें रखीं। आदरणीय प्रकाश जावडेकर जी ने अपनी बात रखी और अभी भाई रामदास अठावले जी बोल रहे थे। श्री राकेश सिन्हा जी ने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और आर.सी.पी. सिंह जी ने भी मजदूरों के संदर्भ में बातें बताई हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस गैर-हाजिर है, यह कोई नई बात नहीं है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, तो 2003 में, उस समय के संदर्भ में, यह तय हुआ था कि लेबर की एक कमेटी थी, उसने बताया था कि जो 44 श्रम कानून हैं, इनको कम किया जाए और चार या पांच बनाए जाएं। 2003-04 के बाद, 2014 में यह प्रक्रिया अमल में आई और आदरणीय मोदी जी जब प्रधान मंत्री बने तब उन्होंने चिंता की और इस बात पर ध्यान दिया कि ये महत्वपूर्ण सुझाव थे, लेकिन तब भी कांग्रेस ने मजदूरों की चिंता नहीं की थी। मुझे ध्यान है कि मजदूरों के संदर्भ में बात करने के लिए मजदूर संगठनों से, उद्योगों के स्वामियों से और इसके साथ सभी राज्यों की सरकारों से एक लंबी चर्चा करनी पड़ती है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। इस लोक सभा के पहले सत्र में, हमने पहला बिल कोड ऑन वेजेज़ पास किया था और बाकी तीन बिल आज यहां पर आपके बीच में रखे हुए हैं। मैं आज यहां पर भाग लेने वाले अपने सदस्यों को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां पर महत्वपूर्ण बातें रखी हैं और आग्रह करूंगा कि वास्तव में जो बातें आपने बताई हैं, जो सोच आपने यहां पर रखी है, श्रम मंत्रालय इस बात को समझ रहा है और जो हम लोग परिवर्तन लेकर आए हैं, वह सबकी समझ में आ रहा है। हमारी सरकार सदैव से श्रमेव जयते के सिद्धांत को मानती है। एक श्रमिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। इसी उद्देश्य से हम अपने श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा, काम करने के वातावरण की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा त्वरित विवाद एवं निपटारा प्रणाली देने के लिए सदैव प्रयासरत रहे हैं। हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरम्भ में ही यह स्वीकार कर लिया था कि जितना महत्व "सत्यमेव जयते" का है, उतना ही महत्व राष्ट्र के विकास के लिए "श्रमेव जयते" का है। इसलिए हमारी सरकार का यह प्रयास रहा है कि अपने श्रमिक को श्रमयोगी बनाते हुए उनके जीवन को सहज बनाने की कोशिश की जाए और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिछले छह वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, वे हम सब की जानकारी में हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को पेंशन देना,

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की दिशा के साथ-साथ मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, EPF तथा ESIC का दायरा बढ़ाना, विभिन्न कल्याणकारी सुविधाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने का प्रयास करना, न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाना है। ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इसी क्रम में श्रम सुधारों की प्रक्रिया भी 2014 में जो आरम्भ की गई है, इसका उद्देश्य यह है कि अनेक श्रम कानूनों को समाहित कर, उनको सरलीकृत रूप से चार लेबर कोड में परिवर्तित किया जाए। श्रम सुधारों का उद्देश्य यह है कि अपने श्रम कानूनों को बदलते हुए कार्य के अनुरूप किया जाए तथा श्रमिकों और उद्योगों की आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाते हुए एक प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था दी जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के 73 वर्षों की इस यात्रा में आज के नये भारत का वातावरण, तकनीकी दौर, काम करने का तरीका तथा काम के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन हो गया है। इस परिवर्तन के साथ भारत यदि अपने श्रम कानूनों में अपेक्षित परिवर्तन नहीं करता है, तो हम श्रमिकों के कल्याण तथा उद्योगों के विकास दोनों ही उद्देश्यों में पीछे रह जायेंगे। आत्मनिर्भर श्रमिक के कल्याण और अधिकारों की संरचना चार स्तम्भों पर आधारित है। सर्वप्रथम आत्मनिर्भर श्रमिक का पहला स्तम्भ यानी वेतन सुरक्षा की बात करें, तो स्वतंत्रता के 73 वर्षों के बाद भी और 44 श्रम कानून होने के बाद भी, भारत के 50 करोड़ श्रमिकों में से लगभग 30 प्रतिशत श्रमिकों को ही न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार था तथा सभी श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता था। इस विसंगति को पहली बार हमारी सरकार ने दूर करने का काम किया है तथा सभी 50 करोड़ संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी और समय पर वेतन मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। श्रमिक सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण स्तम्भ है- उसे काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण देना, जिससे उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सके और वह एक खुशहाल जीवन जी सके। इसके लिए OSH code में पहली बार एक निश्चित आय के ऊपर के श्रमिकों के लिए एनुअल हैल्थ चैक-अप का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा से संबंधित स्टैंडर्ड्स को प्रभावी और गतिशील रखने के लिए उन्हें National Occupational Safety and Health Code के द्वारा बदलती हुई तकनीक के साथ-साथ बदला जा सकेगा। यह Code एक त्रिपक्षीय संस्था होगी, जिसमें केन्द्र एवं राज्य सरकार, श्रमिक संगठन, एम्प्लॉयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि होंगे। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। इस प्रक्रिया में हमारे सुरक्षा स्टैंडर्ड अधिक प्रभावी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे। सुरक्षित वातावरण देने के लिए श्रमिक और एम्प्लॉयर साथ मिलकर निर्णय लें, इसके लिए सभी संस्थानों में सेफ्टी कमेटी का प्रावधान किया गया है। वर्तमान श्रम कानूनों में कैंटीन, creche, फर्स्ट-एड तथा अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लिए अलग-अलग threshold दिए गए हैं। अब OSH Code में हमने इन सभी के लिए uniform threshold देने का कार्य किया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा श्रमिक कल्याणकारी प्रावधानों का लाभ उठा सकें। श्रमिकों की यह समस्या रही है कि वे कई परिस्थितियों में यह सिद्ध नहीं कर पाते

हैं कि वे किस संस्थान के श्रमिक हैं। इस समस्या के निदान के लिए इस code के माध्यम से हर श्रमिक को नियुक्ति-पत्र का कानूनी अधिकार दिया गया है। वर्तमान में कृषि श्रमिक को एक वर्ष में न्यूनतम 240 दिन का काम करने के बाद ही, हर बीस दिन पर एक दिन की छुट्टी पाने का अधिकार मिलता है, लेकिन हमने OSH Code में छुट्टी की पात्रता के लिए 240 दिन की न्यूनतम अर्हता को घटाकर 180 दिन कर दिया है।

महोदय, कार्यस्थल पर चोट लगने या मृत्यु हो जाने पर employer के ऊपर लगने वाले जुर्माने का कम से कम 50 प्रतिशत अन्य लाभों के अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति को देने का प्रावधान पहली बार कानून में किया गया है। इससे पहले यह नहीं मिलता था। इन सभी प्रावधानों के द्वारा श्रमिकों को कार्य करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, महिलाओं को पुरुषों के समान ही कार्य करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तभी हम बेहतर भारत का निर्माण कर पाएंगे, इसलिए हमने पहली बार यह प्रावधान किया है कि महिलाएं किसी भी प्रकार के संस्थान में अपनी स्वेच्छानुसार रात में भी काम कर सकेंगी, परंतु इसके लिए नियोक्ता को सरकार द्वारा निर्धारित सभी उपयुक्त आवश्यक सुरक्षा प्रबंध करने पड़ेंगे।

महोदय, श्रमिकों के लिए तीसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है व्यापक सामाजिक सुरक्षा। हमारी सरकार का संकल्प है कि हम अपने श्रमिकों के लिए एक universal social security प्रणाली की व्यवस्था करें। इसी संकल्प के अनुरूप Social Security Code में ESIC और EPFO के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। ESIC के दायरे को बढ़ाने के लिए यह प्रावधान किया गया है और अब इसकी coverage देश के सभी 740 जिलों में होगी। इसके अतिरिक्त ESIC का विकल्प बागान श्रमिक, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक, गिग तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स तथा दस श्रमिकों से कम श्रमिक वाले संस्थानों के लिए भी होगा। यदि किसी संस्थान में जोखिम कार्य होता है, तो उस संस्थान को एक श्रमिक होने पर भी अनिवार्य रूप से ESIC के दायरे में लाया जाएगा। इसी प्रकार से EPFO के दायरे को बढ़ाने के लिए वर्तमान कानून में संस्थानों के schedule को हटा दिया गया है और अब वे सभी संस्थान, जिनमें बीस या उससे अधिक श्रमिक हैं, वे EPFO के दायरे में आएंगे। इसके अतिरिक्त बीस से अधिक श्रमिक वाले संस्थान तथा स्वरोजगार वाले श्रमिकों के लिए भी EPFO का विकल्प Social Security Code में दिया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान किया गया है। इस फंड के द्वारा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक और गिग व प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं बनाई जाएंगी। इससे इन 40 करोड़ श्रमिक भाई-बहनों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के लाभ, जैसे मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, मातृत्व लाभ और पेंशन इत्यादि प्रदान करने के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। इन प्रयासों के द्वारा हमने अपने एक universal social security coverage के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

1.00 P.M.

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

महोदय, औद्योगिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम विवाद निस्तारण की एक प्रभावी प्रणाली अपने श्रमिकों को उपलब्ध करवाएं, जिससे औद्योगिक शांति सुनिश्चित हो सके। इस चौथे स्तंभ को देने के लिए आई.आर. कोड के अंतर्गत एक व्यवस्थित विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत हमने industrial tribunal की व्यवस्था को मजबूत बनाया है। मैं यहाँ पर माननीय सदस्यों को यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि आईआर कोड में परिभाषाओं को वर्तमान की तुलना में और ज्यादा सुदृढ़ किया गया है। उदाहरण के लिए workers की परिभाषा में शामिल supervisor की वेतन सीमा को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 18 हजार रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से आज के मुकाबले कई ज्यादा सुपरवाइज़र्स आई.आर. कोड की परिधि में आएंगे। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि अन्य श्रेणी के श्रमिकों के लिए कोई वेतन सीमा नहीं है। Fixed term employment को आई.आर. कोड में लाने पर मैं यह बताना चाहूंगा कि वर्तमान में वे संस्थान अपनी आवश्यकतानुसार श्रमिकों को कम समय के लिए contract labour के रूप में रखते हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी की भाँति सेवा शर्तें, जैसे छुट्टी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेच्युटी इत्यादि नहीं मिल पाती है। एक संतुलन बनाते हुए हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि fixed term employment की सेवा शर्तें वेतन, छुट्टी एवं सामाजिक सुरक्षा भी एक regular employee के समान ही होंगी। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय मंत्री जी, एक मिनट रुकिए। अभी एक बज चुका है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री से request करूँगा कि वे अपनी opinion दें।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, I propose that the House may be extended to dispose of the today's Business. Therefore, we may extend the House till the Business is disposed of. I would also like to make an announcement that lunch arrangements have been made for the hon. Members of Parliament in Room Nos.70 and 73. They may have the lunch in Room No.70/73.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Is it the sense of the House to continue till the disposal of today's Business?

SOME HON. MEMBERS: Yes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Minister, please continue.

श्री संतोष कुमार गंगवार: उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं I.R. Code में strike के प्रावधानों पर भी बताना चाहूँगा कि सरकार ने किसी भी श्रमिक के strike पर जाने के अधिकार को वापस नहीं लिया है। Strike पर जाने से पहले 14 दिन के नोटिस पीरियड की बाध्यता हर संस्थान पर इसलिए लागू की गई है, जिससे इस अवधि में सौहार्द्रपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। श्रमिकों के strike पर जाने से न तो श्रमिकों का और न ही इंडस्ट्री का कोई लाभ होता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जहाँ तक I.R. Code में retrenchment, closure या lay-off में threshold को 100 श्रमिक से बढ़ा कर 300 श्रमिक करने की बात है, तो मैं यह बताना चाहूँगा कि 'श्रमिक' समवर्ती सूची का विषय है और सम्बन्धित राज्य सरकारों को भी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप श्रम कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसी अधिकार का उपयोग करते हुए 16 राज्य पहले ही अपने यहाँ यह सीमा बढ़ा चुके हैं। Parliamentary Standing Committee ने भी यह अनुशंसा की थी कि इस सीमा को बढ़ा कर 300 कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त इस प्रावधान का एक पक्ष यह भी होता है कि ज्यादातर संस्थान 100 से अधिक श्रमिकों को अपने संस्थान में नहीं रखना चाहते हैं, जिससे अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है। Economic Survey, 2019 के अनुसार राजस्थान राज्य में इस threshold को 100 से 300 करने के उपरांत बड़ी फैक्टरियों की संख्या के साथ-साथ श्रमिकों के रोजगार सृजन में बढ़ोतरी हुई है तथा छँटनी के मामले में अभूतपूर्व कमी आई है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय मंत्री जी, आप कृपया मास्क चढ़ा लें।

श्री संतोष कुमार गंगवार: उपसभाध्यक्ष महोदय, इससे यह स्पष्ट होता है कि इस एक प्रावधान के बदलने से निवेशक देश में बड़ी-बड़ी फैक्टरियों को स्थापित करने के लिए प्रेरित होंगे और ज्यादा संख्या में बड़ी फैक्टरियों के स्थापित होने से हमारे देश में श्रमिकों के लिए रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर उत्पन्न होंगे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, श्रमिकों को संस्थानों में उनके अधिकार दिलवाने में ट्रेड यूनियंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके इस योगदान को स्वीकार करते हुए कानून में पहली बार ट्रेड यूनियन को संस्थान के स्तर पर, राज्य के स्तर पर तथा केन्द्र के स्तर पर मान्यता दी जा रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यदि किसी भी श्रमिक की नौकरी छूट जाती है, तो दोबारा उसके रोजगार की संभावना बढ़ाने के उद्देश्य से I.R. Code में पहली बार re-skilling fund का प्रावधान किया गया है। इन श्रमिकों को इसके लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, कोविड-19 के परिदृश्य में प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है।

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

अब सभी मजदूर, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं और उनका वेतन 18 हजार रुपए से कम है, तो वे प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएँगे और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। इसके अतिरिक्त, प्रवासी श्रमिकों के लिए एक database बनाने का प्रावधान, उनकी कल्याणकारी योजनाओं की portability, एक अन्य helpline की व्यवस्था तथा उन्हें साल में एक बार अपने मूल स्थान पर जाने के लिए employer द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, चूँकि श्रमिक और उद्योग, दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, इसलिए बदलते परिवेश में हमारे श्रमिक और उद्योगों की आवश्यकताओं में संतुलन होना चाहिए। इन labour codes में जहाँ एक तरफ श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को सरलता से चलाने के लिए एक सरल अनुपालन की व्यवस्था भी की गई है। अब उद्योग लगाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत अलग-अलग कई रजिस्ट्रेशन या कई लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं होगी। जहां तक सम्भव है, अब हम रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस इत्यादि को समयबद्ध सीमा में, ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रदान करने की व्यवस्था करने जा रहे हैं।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमने कई विस्तृत विषयों पर कानून न रख कर नियम बनाने का प्रावधान किया है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बदलते हुए समय के साथ-साथ सहजता के साथ काम करने के लिए आवश्यक है कि कानून में flexibility रहे। ...(**व्यवधान**)... उदाहरण के लिए आज 'Factories Act' and 'Building and other Construction Act' में छोटे से छोटे specifications को भी ऐक्ट में ही रखा गया है, जिसके कारण समय के साथ-साथ उनका बदलाव कठिन हो जाता है। इसी प्रकार कई परिभाषाओं में वेतन सीमा को उसी कानून में होने के कारण, आर्थिक स्थिति बदलने के बावजूद भी कई वर्षों तक आसानी से बदला नहीं जा सका है, इसलिए कानून में बदलते परिदृश्य के सापेक्ष flexibility रखना उचित है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि appropriate Government की परिभाषा में किसी भी प्रकार राज्य सरकार के अधिकारों को सीमित नहीं किया गया है, बल्कि कई प्रावधानों में राज्य सरकारों को यह flexibility दे दी गई है कि वे अपने राज्य की स्थिति के अनुसार विभिन्न प्रावधानों में सरलता से परिवर्तन ला सकें।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार इन चार Labour Codes के माध्यम से एक तरफ तो हम श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा यह प्रयास भी है कि एक सरल अनुपालन व्यवस्था के माध्यम से नये उद्योगों का विकास हो, जिससे हमारे कार्यबल के लिए रोज़गार के नये अवसर पैदा हों। मैं आशा करता हूं कि सरकार के इन प्रयासों में आप सभी माननीय सदस्य सर्वसम्मति से समर्थन देने की कृपा करेंगे और यह जो ऐतिहासिक बिल हम पास करने जा रहे हैं, उसमें हम सब मिल कर भागीदार बनेंगे, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द!

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you, Mr. Minister. Firstly, I shall take up the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020.

The question is:

"That the Bill to consolidate and amend the laws regulating the occupational safety, health and working conditions of the persons employed in an establishment and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 143, the First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, the Minister to move that the Bill be passed.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Sir, I move:

"That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We shall now take up the Industrial Relations Code, 2020.

The question is:

"That the Bill to consolidate and amend the laws relating to Trade Unions, conditions of employment in industrial establishment or undertaking, investigation and settlement of industrial disputes and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 104, the First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, the Minister to move that the Bill be passed.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I shall now put the motion regarding consideration of The Code on Social Security, 2020.

The question is:

"That the Bill to amend and consolidate the laws relating to social Security with the goal to extend social security to all employees and workers either in the organised or unorganised or any other sectors and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We shall now take up Clause by Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 164 and the First to Seventh Schedules were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, the Minister to move that the Bill be passed.

SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now we take up the Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020. Shri G. Kishen Reddy to move a Motion for consideration of the Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020.

The Jammu and Kashmir Official Languages Bill, 2020

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY): Sir, with your permission, on behalf of my senior colleague, Shri Amit Shah, I move:

> "That the Bill to provide for the languages to be used for the official purposes of the Union Territory of Jammu and Kashmir and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Mr. Minister, do you want to say something?

SHRI G. KISHAN REDDY: Sir, I will speak after the Members speak.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Shamsher Singh Manhas to speak in Dogri.

SHRI SHAMSHER SINGH MANHAS (Jammu and Kashmir): * Sir, this Bill that has been brought here by the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Home Minister. In Jammu & Kashmir, only Urdu and English were the languages till now; these two languages were used in J&K till now. However, if we analyse the period since 1947, if we look at traditions of this region, their culture, their lifestyles, then we feel that more languages should have been included as official languages but it was not done and because it was not done so, it resulted in various problems there. If in 1947 and until now, these languages would have included as official languages properly, then many such problems would not have arisen there. Sir, in 1885 and even prior to it, Persian language was spoken and written in Jammu & Kashmir. Persian was the dominant language there and Urdu was nowhere. Similarly, Kashmiri language was also not enjoying any status. Subsequently, Persian was converted and replaced by Urdu and the real languages of Kashmir *i.e.* Kashmiri was totally ignored. After ignoring Kashmiri,

---

* English translation of the original speech made in Dogri.